न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 167 / 2023	03–02–2023	03–03–2023

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ,जिला अलवर निर्णय दिनाक 03.03.2022

उपस्थितः–

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

02– श्री .... –वकील अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओ के अनुसरण में सुओमोटो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत संज्ञान लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आवंटन आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/3377 दिनांक 03.03.2022 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 813 रकबा 0.07 है0 किस्म चाही प्रथम सम्पूर्ण वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटन प्यारे लाल कोली, छोटेलाल कोली पुत्रान भौरे लाल जाति कोली निवासी ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर को आवंटन किया गया है के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी/आवंटी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी अप्रार्थी ने दिनांक 13.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी को आवंटन की सम्पूर्ण शर्तो की पालना कर आवंटन आदेश जारी किया गया जिसके संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है, उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /3377 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक प0 12–3/राजस्व/2022 /8962–63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन/नियमन मे अनियमितताओ की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया प्रदत्त निर्देशो की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला

ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी अभिशंषा अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, प्रकरण में वर्णित आराजी विवादास्पद बंजड़ आराजी खसरा नं. 813 रकबा 0.07 है0 किस्म गाही प्रथम सम्पूर्ण वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर राजस्व रिकार्ड संवत् 2020 मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्माण आदि मे प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/3377 दिनांक 03.03.2022 विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस एवं अप्रार्थी आवंटी के प्रस्तुत जवाब पर मनन किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। आवंटी द्वारा अपने जवाब में कब्जे संबंधित कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविर/फोलोअप कैम्प मे नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय कृषि भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश की आदेश उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पारित किये जाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस विधिवत तामील हो इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है एवं जल संसाधन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग से भी अनापत्ती प्राप्त नहीं की है। आवंटन के लिए विचारार्थ भूमि बाघ परियोजना सरिस्का के अन्तर्गत आती है प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखो की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितता का आक्षेप अंकित किया गया है। आवंटन आदेश की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है प्रकरण मे आराजी खसरा नं. 813 रकबा 0.07 है0 किस्म चाही प्रथम सम्पूर्ण वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर आवंटी भूमि हीन किसान को आवंटन किये जाने के नियम है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/ 3377 दिनांक 03.03.2022 के आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये है जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है एवं राजस्व रिकार्ड संवत् 2020 मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/3377 दिनांक 03.03.2022

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4)स्वीकार किया जाकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आवंटन आदेश कमांक एल.आर. / आवंटन / 2021–22 / 3377 दिनांक 03.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ADDITIONAL COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)